

वर्कशॉप : जिला न्यायालय में दी गई ई-कोर्ट परियोजना के मॉड्यूलों की जानकारी

न्याय श्रुति, ई-साक्ष्य, ई-समन, ई-चालान विषय पर लगी कार्यशाला



दुर्ग। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग के. विनोद कुजूर के मार्गदर्शन में ई-कोर्ट परियोजना के अंतर्गत न्यायालयों में डिजिटल तकनीकों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा न्याय वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, त्वरित, सुगम एवं तकनीक-सक्षम बनाने के उद्देश्य से आज प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग के चतुर्थ तल स्थित नवीन सभागार में न्याय श्रुति, ई-साक्ष्य, ई-समन, ई-चालान, सीसीटीएनएस तथा आईसीजेएस विषयों पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला का संचालन एवं समन्वय दीपक कोशले, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग तथा रवि महोबिया, व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी), दुर्ग द्वारा किया गया। कार्यक्रम में जिला न्यायपालिका के समस्त न्यायिक अधिकारियों ने सहभागिता की। कार्यशाला में ई-कोर्ट परियोजना के अंतर्गत विकसित नवीन डिजिटल मॉड्यूलों के व्यावहारिक उपयोग, उनकी कार्यप्रणाली तथा

न्यायालयीन कार्यों में उनके प्रभावी क्रियान्वयन का विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस दौरान न्याय श्रुति के माध्यम से न्यायालयीन कार्यवाही के डिजिटल ट्रांसक्रिप्शन, ई-साक्ष्य द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित प्रबंधन, ई-समन के माध्यम से समन की त्वरित एवं पारदर्शी तामील, ई-चालान प्रणाली के प्रभावी उपयोग, सीसीटीएनएस के माध्यम से पुलिस एवं न्यायालय के मध्य सूचना समन्वय तथा आईसीजेएस के माध्यम से न्यायालय, पुलिस, जेल एवं अन्य अन्वेषण एजेंसियों के बीच डिजिटल सूचना के निर्बाध आदान-प्रदान की प्रक्रिया का व्यवहारिक प्रदर्शन किया गया। कार्यशाला के दौरान उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी न्यायिक अधिकारियों को इन डिजिटल प्रणालियों के अधिकतम एवं प्रभावी उपयोग हेतु प्रशिक्षित किया गया। साथ ही प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए विभिन्न मॉड्यूलों के व्यवहारिक एवं तकनीकी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

शीघ्र एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराना उद्देश्य

कार्यशाला को संबोधित करते हुए दीपक कोशले, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी आधारित न्यायिक व्यवस्था न्याय वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, त्वरित एवं उत्तरदायी बनाएगी तथा नागरिकों को शीघ्र एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य को और अधिक सशक्त करेगी।

डिजिटल मॉड्यूलों का उपयोग सुनिश्चित करें

रवि महोबिया, व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी), दुर्ग ने सभी न्यायिक अधिकारियों से आग्रह किया कि वे ई-कोर्ट परियोजना के अंतर्गत विकसित सभी डिजिटल मॉड्यूलों का नियमित, प्रभावी एवं उत्तरदायित्वपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करें, जिससे न्यायालयों में डिजिटल कार्यसंस्कृति को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके।

पारदर्शी न्याय व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कदम

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग के. विनोद कुजूर ने अपने उद्बोधन में कहा कि ई-कोर्ट परियोजना भारतीय न्यायपालिका को आधुनिक, पारदर्शी एवं नागरिक-केंद्रित न्याय व्यवस्था की ओर अग्रसर करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग न केवल न्यायिक कार्यों की गति एवं गुणवत्ता में वृद्धि करेगा, बल्कि न्यायालयों की कार्यप्रणाली को अधिक उत्तरदायी, दक्ष एवं पारदर्शी भी बनाएगा। न्यायिक अधिकारियों द्वारा इन डिजिटल मॉड्यूलों का समुचित एवं नियमित उपयोग न्याय वितरण प्रणाली को नई दिशा प्रदान करेगा तथा आम नागरिकों को समयबद्ध एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के संवैधानिक उद्देश्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

Training Programme on Digital Judicial Applications held for judicial officers

■ Staff Reporter
RAIPUR, July 19

UNDER the directions of Chief Justice, High Court of Chhattisgarh Ramesh Sinha, a comprehensive training programme on digital judicial applications, namely Nyaya Shruti, eSakshya, eSummons, eChallan, the Crime and Criminal Tracking Network and Systems (CCTNS), and the Interoperable Criminal Justice System (ICJS) for judicial officers was organised at the District and Sessions Courts across the State on Sunday. The initiative was undertaken to enhance the understanding, effective management, and efficient utilisation of digital platforms that are integral to the

modern justice delivery system. The training programme was conducted for judges posted in the District and Taluka Courts, Family Courts, and Judicial Officers serving on deputation. The objective of these workshops was to strengthen the criminal justice delivery system through the effective implementation of the new criminal laws by leveraging digital technology, thereby making the justice delivery process more robust, transparent, and time-efficient. As part of this statewide training initiative, judicial officers were imparted comprehensive training on the new criminal laws and the associated digital technologies. Special emphasis was laid on the growing importance of dig-



A judicial official addressing the training programme.

ital evidence and technology-enabled judicial processes under the new criminal law framework. The programme also focused on the practical application and effective use of the aforesaid digital judicial platforms. These digital platforms have been intro-

duced to facilitate seamless court functioning, improve coordination among stakeholders in the criminal justice system, expedite judicial processes, and promote greater transparency and efficiency in court administration. During the training sessions, the Judicial Resource Persons provided the Judicial Officers with detailed demonstrations and practical guidance on the operational features of these digital platforms. The sessions were designed to equip the Judicial Officers with the technical knowledge and practical skills required for the effective use of these platforms in day-to-day judicial work, including digital recording of proceedings, electronic service of summons, processing of

electronic challans, digital evidence management through eSakshya, and integration with CCTNS and ICJS. The training programme reflects the continued commitment of the High Court of Chhattisgarh towards the digital transformation of the judiciary and the strengthening of institutional capacity through continuous professional development of Judicial Officers. By promoting the effective adoption of modern digital technologies, the High Court of Chhattisgarh seeks to ensure faster, more efficient, transparent, and technology-driven justice delivery for the benefit of litigants and all stakeholders in the justice delivery system.

आया?

दुर्ग-वि

जिला न्यायालय में ई-कोर्ट परियोजना के नवीन डिजिटल मॉड्यूलों पर एक दिवसीय कार्यशाला



दुर्ग, 19 जुलाई (देशबन्धु)। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के निदेशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग के विनोद कुजूर के मार्गदर्शन में ई-कोर्ट परियोजना के अंतर्गत न्यायालयों में डिजिटल तकनीकों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा न्याय वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, त्वरित, सुगम एवं तकनीक-सक्षम बनाने के उद्देश्य से आज प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग के चतुर्थ तल स्थित नवीन सभागार में न्याय प्रणाली के माध्यम से न्याय वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, त्वरित, सुगम एवं तकनीक-सक्षम बनाने के उद्देश्य से आज प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग के चतुर्थ तल स्थित नवीन सभागार में न्याय

सीसीटीएनएस तथा आईसीजेएस विषयों पर एक दिवसीय कार्यशाला का सफल आयोजन किया गया।

कार्यशाला का संचालन एवं समन्वय दीपक कोशले जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग तथा रवि महोबिया, व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी), दुर्ग द्वारा किया गया। कार्यक्रम में जिला न्यायपालिका के समस्त न्यायिक अधिकारियों ने सहभागिता की।

कार्यशाला में ई-कोर्ट परियोजना के अंतर्गत विकसित नवीन डिजिटल मॉड्यूलों के व्यावहारिक उपयोग

, उनकी कार्य प्रणाली तथा न्यायालयीन कार्यों में उनके प्रभावी क्रियान्वयन का विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान दिया गया। इस दौरान न्याय श्रुति के माध्यम से न्यायालयीन कार्यवाही के डिजिटल ट्रांसक्रिप्शन, ई-साक्ष्य द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित प्रबंधन, ई-समन के माध्यम से समन की त्वरित एवं पारदर्शीतामील, ई-चालान प्रणाली के प्रभावी उपयोग, सीसीटीएनएस के माध्यम से पुलिस एवं न्यायालय के मध्य सूचना समन्वय तथा आईसीजेएस के

माध्यम से न्यायालय, पुलिस, जेल एवं अन्य अन्वेषण एजेंसियों के बीच डिजिटल सूचना के निर्बाध आदान-प्रदान की प्रक्रिया का व्यवहारिक प्रदर्शन किया गया।

कार्यशाला के दौरान उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी न्यायिक अधिकारियों को इन डिजिटल प्रणालियों के अधिकतम एवं प्रभावी उपयोग हेतु प्रशिक्षित किया गया। साथ ही प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए विभिन्न मॉड्यूलों के व्यावहारिक एवं तकनीकी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग के विनोद कुजूर ने अपने उद्बोधन में कहा कि ई-कोर्ट परियोजना भारतीय न्यायपालिका को >> शेष पृष्ठ 9 पर >>

कार्यशाला • दुर्ग न्यायालय में ई-कोर्ट के नए डिजिटल मॉड्यूलों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया डिजिटल ट्रांसक्रिप्शन, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का सुरक्षित प्रबंधन, समन की त्वरित और पारदर्शी तामील करने की प्रक्रिया बताई

सिटीरिपोर्टर | दुर्ग

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग में ई-कोर्ट परियोजना के नए डिजिटल मॉड्यूलों पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप यह कार्यक्रम चतुर्थ तल स्थित सभागार में रखा गया, जहां न्याय श्रुति, ई-साक्ष्य, ई-समन, ई-चालान, सीसीटीएनएस और आईसीजेएस के व्यावहारिक उपयोग का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में डिजिटल ट्रांसक्रिप्शन, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का सुरक्षित प्रबंधन, समन की त्वरित व पारदर्शी तामील, तथा पुलिस, न्यायालय, जेल और अन्वेषण एजेंसियों के बीच सूचना



प्रधान जिला न्यायाधीश ने संबोधन दिया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग में ई-कोर्ट परियोजना के नए डिजिटल मॉड्यूलों पर कार्यशाला आयोजित हुई।

समन्वय व आदान-प्रदान की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के. विनोद कुजूर ने कहा कि ई-कोर्ट परियोजना न्याय व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में अहम कदम है।

सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावी

उपयोग न केवल न्यायिक कार्यों की गति और गुणवत्ता में वृद्धि करेगा, बल्कि न्यायालयों की कार्यप्रणाली को अधिक उत्तरदायी, दक्ष और पारदर्शी भी बनाएगा। न्यायिक अधिकारियों द्वारा इन डिजिटल मॉड्यूलों का समुचित एवं नियमित उपयोग न्याय वितरण प्रणाली को नई दिशा प्रदान करेगा तथा आम

नागरिकों को समयबद्ध और सुलभ न्याय उपलब्ध करने के संवैधानिक उद्देश्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग दीपक कोशले ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी आधारित न्यायिक व्यवस्था न्याय वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, त्वरित एवं उत्तरदायी बनाएगी तथा

नागरिकों को शीघ्र और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य को और अधिक सशक्त करेगी।

व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, दुर्ग रवि महोबिया ने सभी न्यायिक अधिकारियों से कहा कि सभी डिजिटल मॉड्यूलों का नियमित, प्रभावी और उत्तरदायित्वपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करें।